हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.9.19 वकील वादी / प्रतिवादी संख्या एक उपस्थित वकील वादी द्वारा आदेशिका पर अंकन किया जाकर निवेदन किया कि भूमि विभाजन का अनुतोष प्राप्त करते हैं। अतः मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 को हद तक वादवादी निर्णित किया जावे। प्रतिवादी ~~वादी~~ वकील द्वारा कोई एतराज व्यक्त नहीं करने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर बिरुद्ध निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी [illegible]मानगढ़	वादीगण द्वारा 53 RTA की सीमा तक अपना अनुतोष इस प्रकार पर प्राप्त कर लिया है। [signature] 26.9.2019.

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 042 / 2018

1 हासम अली पुत्र स्व. श्री खान मोहम्द (फौत)
1.1 गुलामअली
1.2 अब्बास अली
1.3 मुस्ताफा अली } पिसरान स्व. श्री हासमअली
1.4 उसपाक अली
1.5 मुमताज अली पुत्र स्व. हासम अली (फौत)
1.5.1 सीमा बेगम पत्नी स्व. श्री मुमतात अली पुत्र स्व. श्री हासम अली।
1.5.2 जोहरा फातिमा नाबालिग पुत्री स्व. श्री मुमताज अली।
1.5.3 अब्बुबकर हुसैन
1.5.4 मोहम्मद मुसव्विर अली } नाबालिग पुत्रगण स्व. श्री मुमताज अली जरिये कुदरती वलीया व माता मु. सीमा बेगम पत्नी स्व. श्री मुमताजअली पुत्र स्व. श्री हासमअली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 4, नई खुंजा, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 अलीशेर पत्र स्व. श्री कासम अली आयु 52 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 4 गई खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 शबनम बेगम धर्मपत्नी श्री अलीशेर आयु 51 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 4 नई खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – **वादीगण**

–:: बनाम ::–

1 फलकशेर पुत्र स्व. श्री कासमअली जाति मुसलमान निवासी मकान नंबर 7 / 19, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, स्वामी केशवानंद स्कूल के सामने, हनुमानगढ़ खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – **असल प्रतिवादी**

2 नवी शेर पुत्र स्व. श्री कासम अली आयु 56 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 4, नई खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 मोहम्मद तुफैल पुत्र स्व. श्री गनीमोहम्मद आयु 63 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नवर 4, नई खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 इलाहीसैन बेगम धर्मपत्नी श्री मोहम्मद रहमत आयु 46 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 4, नई खुंजा, हनुमानगढ जैशन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 चरण देवी धर्मपत्नी श्री प्यारेलाल जाति शाक्य निवासी वार्ड नंबर 2, नई खुंजा, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6 दीपचन्द पुत्र श्री जसराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कृषि उपज मण्डी समिति शाखा हनुमानगढ़ जैशन जरिये शाखा प्रबन्धक, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9 सैन्ट्रल बैक आफ इण्डिया शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला जिला हनुमानगढ़।

10 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खुंजा, हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला हनुमानगढ़।

11 बसन्ती देवी पत्नी श्री विरेन्द्र जाखड़ जाति जाट निवासी 31–बी, सैक्टर नंबर 12 / 5 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

– – **प्रतिवादीगण**

लगातार 2

कलक्टर

Scanned by CamScanner

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता वादी
2. श्रीमति शकुन्तला भाटीवालं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.09.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी संख्या 1 पिता व वादी संख्या 2 के दादा स्व. श्री खानमोहम्मद पुत्र श्री अलादीन की चक 1 जे.आर.के. व चक 2 जे.आर.के. में निम्नलिखित विवरण की खातेदारी भूमि थी

(क) चक 1 जे.आर.के. में पैमूद भूमि :– पत्थर नम्बर 111/245 (52) किला नम्बर 1 ता 15, 17 ता 20 कुल तादादी 4.807 हैक्टर अर्थात 19.00 बीघा।

स्व. श्री खानमोहम्मद ने अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित 19 बीघा भूमि में से मनजीत कौर बेवा चनन सिंह को 0.590 हैक्टर व जगदीश सिह–जगरूप सिंह पिसरान चनण सिंह को 0.169 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर अर्थात 3 बीघा भूमि विक्रय की तथा राजस्व अभिलेख में यह भूमि उक्त क्रेतागण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज होकर खानमोहम्मद का शेष हिस्सा 4.048 हैक्टर दर्ज रही। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 जे.आर.के. खाता संख्या 10/10 सम्वत 2041 संलग्न है।

कालान्तर में स्व. श्री खानमोहम्मद ने अपने शेष 4.048 हैक्टर में से 1.771 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 02.05.2003 को क्रेतागण लालचन्द, बनवारीलाल, कीर्तिकुमार पुत्रगण श्री गोविन्दराम जाति सुथार निवासी हनुमानगढ़ जैक्शन को विक्रय की। उक्त क्रेतागण ने उक्त भूमि में से अपनी खरीदशुदा भूमि पत्थर 111/245 (52) किला नम्बर 4 से 10 कुल 7 बीघा का जरिये डिक्री खाता विभाजन करवा लिया व इन्तकाल संख्या 220 दिनांक 02.09.2005 उक्त भूमि इस भूमि से अलग हुई व खानमोहम्मद की शेष 2.278 हैक्टर भूमि रही। स्व. श्री खान मोहम्मद के देहान्त के उपरान्त उक्त 2.278 हैक्टर भूमि उसके दो पुत्रों स्व. श्री कासम अली व वादी संख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। उक्त 2.278 हैक्टर में वादी संख्या 1 का निस्फ हिस्सा 1.139 हैक्टर व वादी संख्या 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 केपिमा स्व. श्री कासमअली का निस्फ हिस्सा 1.139 हैक्टर था। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 जे.आर.के. खाता संख्या 9/8 सम्वत 2061–2064 संलग्न है।

(ख) चक 2 जे.आर.के. में पैमूद भूमि :– पत्थर नम्बर 109/246 (12) किला नम्बर 1/.130, 7/.250, 8/0.101, 9/.177, 10 से 14, 15/.202 16 से 25 कुल 4.313 हैक्टर पत्थर नम्बर 108/246 (13) 4/.152, 5/.076, 6–7, 14 से 16 व 25 कुल 1.746 हैक्टर इस प्रकार कुल तादादी 6.059 हैक्टर यानि 23.19 बीघा। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 जे.आर.के. खाता संख्या 8/8 सम्वत् 2041 संलग्न है।

स्व. श्री खान मोहम्मद ने अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित 6.059 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 6 दीपचन्द पुत्र जसराम को 1.493 हैक्टर भूमि विक्रय की तथा राजस्व अभिलेख में दीपचन्द पुत्र जसराम के नाम 1.493 हैक्टर दर्ज होकर स्व. श्री खान मोहम्मद का 4.566 हैक्टर हिस्सा दर्ज रहा। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 जे.आर.के. खाता संख्या 9/9 सम्वत 2049 संलग्न है।

लगातार 3

मजिस्ट्रेट/कलक्टर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 042/2018

1 हासम अली पुत्र स्व. श्री खान मोहम्द (फौत)

1.1 गुलामअली
1.2 अब्बास अली
1.3 मुस्ताफा अली } पिसरान स्व. श्री हासमअली
1.4 उसपाक अली

1.5 मुमताज अली पुत्र स्व. हासम अली (फौत)

1.5.1 सीमा बेगम पत्नी स्व. श्री मुमतात अली पुत्र स्व. श्री हासम अली।

1.5.2 जोहरा फातिमा नाबालिग पुत्री स्व. श्री मुमताज अली।

1.5.3 अब्बुबकर हुसैन
1.5.4 मोहम्मद मुसव्विर अली } नाबालिग पुत्रगण स्व. श्री मुमताज अली जरिये कुदरती वलीया व माता मु. सीमा बेगम पत्नी स्व. श्री मुमताजअली पुत्र स्व. श्री हासमअली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 4, नई खुंजा, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 अलीशेर पत्र स्व. श्री कासम अली आयु 52 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 4 गई खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 शबनम बेगम धर्मपत्नी श्री अलीशेर आयु 51 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 4 नई खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — वादीगण

—:: बनाम ::—

1 फलकशेर पुत्र स्व. श्री कासमअली जाति मुसलमान निवासी मकान नंबर 7/19, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, स्वामी केशवानंद स्कूल के सामने, हनुमानगढ़ खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — असल प्रतिवादी

2 नवी शेर पुत्र स्व. श्री कासम अली आयु 56 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 4, नई खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 मोहम्मद तुफैल पुत्र स्व. श्री गनीमोहम्मद आयु 63 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नबर 4, नई खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 इलाहीसैन बेगम धर्मपत्नी श्री मोहम्मद रहमत आयु 46 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 4, नई खुंजा, हनुमानगढ जैशन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 चरण देवी धर्मपत्नी श्री प्यारेलाल जाति शाक्य निवासी वार्ड नंबर 2, नई खुंजा, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6 दीपचन्द पुत्र श्री जसराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कृषि उपज मण्डी समिति शाखा हनुमानगढ़ जैशन जरिये शाखा प्रबन्धक, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9 सैन्ट्रल बैक आफ इण्डिया शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला जिला हनुमानगढ़।

10 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खुंजा, हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला हनुमानगढ़।

11 बसन्ती देवी पत्नी श्री विरेन्द्र जाखड़ जाति जाट निवासी 31—बी, सैक्टर नंबर 12/5 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ। — — प्रतिवादीगण

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी

कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 26.09.2019

वादीगण की और से श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल इस वाद में आज दिनांक 26.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा चक 2 जे.आर.के. के खाता संख्या 79/76 में प्रतिवादी संख्या 1 फलकशेर पुत्र स्व. श्री कासमअली जाति मुसलमान निवासी खुंजा के नाम दर्ज प्रविष्टि 0.290 हैक्टर को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर हासम अली पुत्र खान मोहम्मद को 2.274 हैक्टर के स्थान पर 2.527 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। चुँकि वादी संख्या 1 व 1/5 की दौरानें दावा मृत्यु हो जानें से वादी संख्या संख्या 1 के वारिसान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है अतः मुताबिक राजीनामा वादी संख्या 1 हासम अली पुत्र खान मोहम्मद की 2.527 हैक्टर भूमि में वादीगण संख्या 1.1 से 1.4 बहिस्सा बराबर 4/5 हिस्सा व वादीगण संख्या 1.5.1 से 1.5.4 बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकर घोषित किया जाता है। तथा वादी संख्या 3 शबनम बेगम धर्मपत्नी श्री अलीशेर को 1.116 हैक्टर के स्थान पर 1.153 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 फलकशेर के नाम से भूमि उक्त वर्णित भूमि 0.290 हैक्टर भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

अपना–अपना वहन करेगें। यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 26.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई
मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस			
आदेशिका की तामिल	– –	कमिश्नर की फीस	– –
योग	– –		

Scanned by CamScanner